एन 0 सी0 बंसल

बनाम

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और अन्य

25 जनवरी, 2018

[न्यायमूर्तिगण आर 0 के0 अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 7, नियम 14 और आदेश 6, नियम 17 – क्या विचाराधीन लंबित मुकदमे में, नीचे दिए गए दो न्यायालयों ने वादी द्वारा दायर तीन आवेदनों को खारिज करने में उचित ठहराया था (i) दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए आदेश 7, नियम 14 के तहत आवेदन; (ii) वाद पत्र में संशोधन के लिए आदेश 6, नियम 17 के अधीन आवेदन; (iii) कुछ मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादियों के विरुद्ध निदेश प्राप्त करने वाला आवेदन – आदेश 7, नियम 14 और आदेश 6, नियम 17 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर दो आवेदनों को अनुमति दी जानी चाहिए थी और उन्हें वाद में संशोधन करने और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी – इस कारण से कि सबसे पहले, वाद अभी भी प्रारंभिक चरण में है, यानी, वाद अभी तक शुरू नहीं हुआ है; दूसरे, वाद पत्र में मांगा गया प्रस्तावित संशोधन वाद की प्रकृति को नहीं बदलता है; तीसरा, यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी द्वारा देर से आवेदन दायर किए गए थे क्योंकि मुकदमे को विचारण न्यायालय द्वारा अपने प्रारंभिक चरणों में सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया था और इन सभी वर्षों के लिए यह अपील में विचाराधीन था – अपीलीय अदालत द्वारा मामले को विचारण न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजे जाने के बाद ही अपीलकर्ता ने वाद में आवेदन दायर किए – चौथा, इन परिस्थितियों में न्यायालयों को प्रस्तावित संशोधन की अनुमति देने में उदार होना चाहिए था – जहां तक दस्तावेजों को पेश करने के लिए तीसरे आवेदन का संबंध है, अपीलकर्ता द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया है, इसलिए इसे अस्वीकार करने का आदेश बरकरार रखा गया है।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत का

निर्णय : 1.1 दलीलों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता (वादी) द्वारा आदेश 6, नियम 17 और आदेश 7, नियम 14 के तहत दायर दो आवेदनों को अनुमति दी जानी चाहिए थी और उसे वाद में संशोधन करने और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। [पैरा 17] [357–C]

1.2 यही कारण है कि सबसे पहले, वाद अभी भी प्रारंभिक चरण में है, यानी, वाद अभी तक शुरू नहीं हुआ है; दूसरे, वाद पत्र में मांगा गया प्रस्तावित संशोधन वाद की प्रकृति को नहीं बदलता है; तीसरा, यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी द्वारा देर से आवेदन दायर किए गए थे क्योंकि वाद विचारण न्यायालय द्वारा अपने प्रारंभिक चरणों में सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया था और इन सभी वर्षों के लिए यह अपील में न्यायाधीन था। अपीलीय अदालत द्वारा मामले को विचारण न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजे जाने के बाद ही, अपीलकर्ता (वादी) ने मुकदमे में आवेदन दायर किए और वाद में संशोधन करने और उसके समर्थन में

कुछ दस्तावेज दायर करने की अनुमति मांगी; चौथा, इन परिस्थितियों में न्यायालयों को प्रस्तावित संशोधन की अनुमति देने में उदार होना चाहिए था। जहां तक दस्तावेजों को दाखिल करने का सवाल है, इस आवेदन को भी उसी आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए थी। जब वाद अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और वाद शुरू होना बाकी है और जब दायर किए गए दस्तावेजों को कथित तौर पर प्रतिवादियों के आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किया गया है, तो कोई कारण नहीं है कि अपीलकर्ता (वादी) को उन्हें दायर करने की अनुमति न दी जाए। [पैरा 18, 19] [357–डी–जी]

2. जहां तक प्रतिवादियों द्वारा दस्तावेजों को पेश करने के लिए तीसरे आवेदन का संबंध है, अपीलकर्ता द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया था। इसलिए, नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा इसकी अस्वीकृति के आदेश को बरकरार रखा जाता है। अपीलकर्ता (वादी) द्वारा दायर दो आवेदन, यानी, एक आदेश 7 नियम 14 के तहत दायर किया गया है और दूसरा संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत दायर किया गया है, हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादियों की लागत का भुगतान करने के अधीन। [पैरा 20, 22] [357–एच; 358–सी–डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 882 वर्ष 2018.

सी.एम.एम. संख्या 1223 वर्ष 2016 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 19.12.2016 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से शांतनु बंसल, नितिन भारद्वाज, अधिवक्ता।

श्रीश कुमार मिश्रा, प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा–

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति. 1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील वादी द्वारा नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सीएम (एम) संख्या 1223 वर्ष 2016 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और सिविल सूट नंबर 7930 वर्ष 2016 में विचारण न्यायालय के 21.09.2016 के आदेश को बरकरार रखा।

3. संक्षिप्त प्रश्न का निर्णय करने के लिए, तथ्यों को विस्तार से निर्धारित करना आवश्यक नहीं है और केवल कुछ तथ्यों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा।

4. अपील में शामिल विवाद यह है कि क्या नीचे दिए गए दो न्यायालय एक लंबित मुकदमे में वादी द्वारा दायर तीन आवेदनों को खारिज करने में उचित थे, अर्थात्, (i) दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए संहिता के आदेश 7 नियम 14 के तहत आवेदन, (ii) वाद में संशोधन की मांग करते हुए संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत आवेदन, और (iii) कुछ मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ निर्देश मांगने वाला आवेदन।

5. अपीलकर्ता वादी है और प्रतिवादी मुकदमे में प्रतिवादी हैं जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है।

6. अपीलकर्ता (वादी) ने जे.एस.सी.सी.–सह–ए.एस.सी.जे.–सह–अभिभावक न्यायाधीश (पश्चिम) दिल्ली की अदालत में प्रतिवादियों (प्रतिवादियों) के खिलाफ सिविल वाद संख्या 252/2005 के रूप में सिविल वाद दायर किया है, जिसे अब (सीएस नंबर 7930/2016) के रूप में फिर से संख्या दिया गया है।

7. अपीलकर्ता का वाद कुछ संपत्तियों के संबंध में एक घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है (इसके बाद "वाद संपत्ति" के रूप में संदर्भित)। अपीलकर्ता ने निम्नलिखित राहत का दावा किया है:

"इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय घोषणा की डिक्री पारित करने की कृपा करें क्योंकि उक्त संपत्ति (दूसरी मंजिल पर) नंबर 21 एन.डब्ल्यू.ए. क्लब रोड, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, नई दिल्ली –110026 प्रतिवादी के तहत संपार्श्विक सुरक्षा या बंधक संपत्ति नहीं है और वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री पारित करने के लिए भी है, जिससे प्रतिवादियों को इसके एजेंटों पर रोक लगाई जा सके। नौकर, वकील, नामित व्यक्ति आदि को आदर्श शावन सहकारी समिति के लेआउट प्लान में एनवीवीए में प्लॉट नंबर 21, एन.डब्ल्यू.ए. क्लब रोड, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110026 (एनवीवीए में प्लॉट नंबर 21 पर दूसरी मंजिल पर स्थित) वाले उक्त परिसर पर जबरन कब्जा लेने या बेचने से रोका जा सकता है। हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड कॉलोनी जिसे पंजाबी बाग एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। मादीपुर, दिल्ली–110026 के क्षेत्र में जैसा कि साइट प्लान में लाल रंग में दिखाया गया है और न्याय के हित में उक्त संपत्ति के उपयोग और आनंद में किसी भी हस्तक्षेप को पैदा करने से रोकता है।

कोई अन्य राहत, जिसे यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे, उसे भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमे की लागत के साथ पारित किया जाना चाहिए।

8. प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान दायर किया है और वाद में स्थापित अपीलकर्ता के दावे से इनकार किया है। हालांकि, प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता के वाद की विचारणीयता के बारे में कुछ कानूनी आपत्तियां भी उठाईं। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सही ठहराया और तदनुसार प्रारंभिक चरण में ही दिनांक 20.09.2011 के निर्णय/डिक्री के तहत अपीलकर्ता के वाद को खारिज कर दिया।

9. अपीलकर्ता ने व्यथित महसूस किया और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष आर.सी.ए. 121/14/11 के तहत अपील दायर की। दिनांक 20.11.2014 के आदेश द्वारा, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार कर लिया और विचारण न्यायालय के निर्णय/डिक्री को रद्द करते हुए मामले को गुण–दोष के आधार पर वाद तय करने के लिए विचारण न्यायालय को भेज दिया।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों (प्रतिवादियों) ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश के खिलाफ मामले को उच्च न्यायालय में नहीं उठाया और इसलिए, मामला अब वाद में विचारण के साथ आगे बढ़ने के लिए विचारण न्यायालय में वापस चला गया है।

11. रिमांड के बाद, अपीलकर्ता (वादी), जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ने अपने लंबित वाद में तीन आवेदन दायर किए। पहला संहिता के आदेश 7 नियम 14 के तहत कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगने के लिए था, दूसरा आदेश 6 नियम 17 के तहत वाद में संशोधन के लिए एक आवेदन था और तीसरा आवेदन कुछ मूल दस्तावेजों को पेश करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए था।

12. प्रतिवादियों (प्रतिवादियों) ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदनों का विरोध किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 21.09.2016 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता (वादी) द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया।

13. अपीलकर्ता ने व्यथित महसूस किया और दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका दायर की। आक्षेपित आदेश द्वारा, एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता (वादी) की रिट याचिका को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

14. उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता (वादी) ने व्यथित महसूस किया है और इसकी वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए इस न्यायालय में विशेष अनुमति से यह अपील दायर की है।

15. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील श्री शांतनु बंसल और प्रतिवादियों की ओर से विद्वान वकील श्री एस.के. मिश्रा को सुना।

16. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हम अपील की अनुमति देने के इच्छुक हैं और विचारण न्यायालय के 21.09.2016 के आदेश और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए वादी (अपीलकर्ता) द्वारा दायर दो आवेदनों को अनुमति देते हैं। अर्थात्, आदेश 7 नियम 14 के तहत दायर आवेदन और संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत दायर आवेदन।

17. हमने अपीलकर्ताओं और अपीलकर्ता द्वारा दायर विचाराधीन दो आवेदनों का भी अवलोकन किया है। हमारी सुविचारित राय में, अपीलकर्ता (वादी) द्वारा दायर दोनों आवेदनों को अनुमति दी जानी चाहिए थी और उसे वाद में संशोधन करने और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

18. यह इस कारण से है कि सबसे पहले, वाद अभी भी प्रारंभिक चरण में है, यानी, वाद अभी तक शुरू नहीं हुआ है; दूसरा, वाद पत्र में मांगा गया प्रस्तावित संशोधन वाद की प्रकृति को नहीं बदलता है; तीसरा, यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी द्वारा देर से आवेदन दायर किए गए थे क्योंकि वाद विचारण न्यायालय द्वारा अपने प्रारंभिक चरणों में सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया था और इन सभी वर्षों के लिए यह अपील में विचाराधीन था। अपीलीय अदालत द्वारा मामले को विचारण न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजे जाने के बाद ही, अपीलकर्ता (वादी) ने मुकदमे में आवेदन दायर किए और वाद में संशोधन करने और उसके समर्थन में कुछ दस्तावेज दायर करने की अनुमति मांगी; चौथा, इन परिस्थितियों में न्यायालयों को प्रस्तावित संशोधन की अनुमति देने में उदार होना चाहिए था।

19. जहां तक दस्तावेजों को दाखिल करने का संबंध है, इस आवेदन को भी उसी आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए थी, जिस आधार पर हमने संशोधन आवेदन की अनुमति दी है। दूसरे शब्दों में, जब वाद अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और वाद शुरू होना बाकी है और जब दायर किए गए दस्तावेजों को कथित तौर पर प्रतिवादियों के आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किया गया है, तो कोई कारण नहीं है कि अपीलकर्ता (वादी) को उन्हें दायर करने की अनुमति न दी जाए।

20. जहां तक प्रतिवादियों द्वारा दस्तावेजों को पेश करने के लिए तीसरे आवेदन का संबंध है, अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया था। इसलिए, हम नीचे दिए गए दो

न्यायालयों द्वारा इसे अस्वीकार करने के आदेश को बरकरार रखते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारा आदेश ऊपर उल्लिखित केवल दो आवेदनों पर विचार करने तक ही सीमित है।

21. हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने प्रस्तावित संशोधन के गुण–दोष पर या अपीलकर्ता द्वारा दायर किए जाने वाले कथित दस्तावेजों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। यह अपीलकर्ता पर निर्भर करता है कि वह संशोधित दलीलों सहित वाद में स्थापित मामले को साबित करे ताकि पर्याप्त साक्ष्य जोड़कर कानून के अनुसार दस्तावेजों और इसकी प्रासंगिकता को साबित किया जा सके।

22. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और अनुमति दी जाती है। लागू आदेश को रद्द किया जाता है, इसलिए दिनांक 21.09.2016 के आदेश को ऊपर उल्लिखित सीमा तक रद्द किया जाता है। नतीजतन, अपीलकर्ता (वादी) द्वारा दायर दो आवेदन, यानी, एक आदेश 7 नियम 14 के तहत दायर किया गया और दूसरा संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत दायर किया गया है, हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को 10,000 रुपये की लागत का भुगतान करने के अधीन अनुमति दी जाती है। अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को एक महीने के भीतर लागत का भुगतान किया जाए।

23. वादी द्वारा एक महीने के भीतर संशोधन के लिए अपने आवेदन में प्रस्तावित वाद–पत्र में संशोधन को शामिल किया जाए। प्रतिवादी को अपने लिखित अभिकथनों में संशोधन करने और वादी (अपीलकर्ता) की संशोधित याचिका के जवाब में परिणामी संशोधन करने का अवसर दिया जाता है।

24. अपीलकर्ता (वादी) को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की भी अनुमति दी जाती है, जैसा कि उसके द्वारा अनुरोध किया गया है। प्रतिवादी (प्रतिवादी) को खंडन में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने का अवसर भी दिया जाता है, यदि वे ऐसा चाहते हैं।

25. विचारण न्यायालय तब मूल दलीलों और संशोधित दलीलों के आलोक में मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को फिर से तैयार करेगा और उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी और इस आदेश में हमारी टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना एक वर्ष के भीतर कानून के अनुसार मुकदमे का फैसला करने का प्रयास करेगा।

अंकित ज्ञान अपील की अनुमति दी गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.

Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 8896551733